संख्या-10/2016/704/22-1-2016-57/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एंव सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2016

विषय- डिप्लोमा फार्मासिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों के संबंध में नान फंक्शनल वेतनमान की व्यवस्था को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-189/22-1-2014-54/2011, दिनांक 19-05-2014 के क्रम में तथा वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-54/2015/वेतन आयोग-2-865/दस-8(मु0स0स0)/2008टीसी, दिनांक 15-09-2015 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट संवर्ग में उपलब्ध फार्मासिस्ट के पद पर वेतनमान एवं नान फंक्शनल वेतनमान भारत सरकार से समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये गये हैं। अत: फार्मासिस्ट के पद पर नान फंक्शनल वेतनमान का लाभ दिनांक 01-01-2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 18-03-2011 से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश संख्या-189/22-1-2014-54/2011, दिनांक 19-05-2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-826/दस-2016, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2016/704(1)/22-1-2016तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
3- वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।